

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल अवमानना याचिका संख्या 927/2022

1. नेकीराम पुत्र नेमीचंद, निवासी नूनिया गोठड़ा, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनू।
2. रणवीरसिंह पुत्र भगवानाराम, निवासी नूनिया गोठड़ा, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनू।
3. बलवीर पुत्र नारायणराम, निवासी अजीतपुरा, जिला झुंझुनू।
4. जन कल्याण समिति, मंडेला, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनू, मंत्री ऋषि शर्मा के माध्यम से।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्रीमती उषा शर्मा, मुख्य सचिव राजस्थान, सचिवालय, जयपुर।
2. लक्ष्मणसिंह कुडी, जिला कलेक्टर झुंझुनू।
3. संदीप चौधरी, उपखंड अधिकारी चिड़ावा, जिला झुंझुनू।
4. कमलदीप पूनिया, तहसीलदार चिड़ावा, जिला झुंझुनू।
5. राजस्थान राज्य, मुख्य सचिव, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री वेद पाल शास्त्री, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से : श्री जी.एस. गिल, एएजी (वीडियो
कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) श्री
मनोज कुमार, अधिवक्ता के साथ।

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्री न्यायमूर्ति भुवन गोयल**आदेश****11/03/2024****अवनिष झिंगन, जे [मौखिक]:-**

1. यह अवमानना याचिका डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4716/2022 में दिनांक 23.05.2022 को पारित निर्देश के गैर-अनुपालन का तर्क देते हुए दायर की गई है। आदेश का परिचालन भाग नीचे पुनरुत्पादित है:

“रिट याचिका में कोई भी ऐसा अभिकथन नहीं किया गया है कि क्या किसी व्यक्ति ने, जिसके खिलाफ आदेश के निष्पादन की मांग की गई है, कानून के तहत प्रदान की गई अपील के उपाय का सहारा लिया है।

इसलिए, इस स्तर पर, हम केवल यह देख सकते हैं कि यदि अधिनियम की धारा 91 के तहत तहसीलदार द्वारा पारित बेदखली का आदेश अंतिम हो गया है और इसे चुनौती नहीं दी गई है और प्रभावित व्यक्तियों में से किसी ने भी अपील के उपाय का सहारा नहीं लिया है और कोई अंतरिम आदेश नहीं है, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आदेश को अधिनियम की योजना के अनुसार निष्पादित करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त अवलोकनों के अधीन, इस याचिका का निपटारा किया जाता है।”

2. उठाई गई शिकायत यह है कि प्रतिवादी आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं और आवासीय भवन के अलावा जमीन पर दुकान के निर्माण और खेती करके अतिक्रमण किया गया है।

3. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि बेदखली के आदेशों से प्रभावित पक्षों ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11728/2023 (रंगलाल बनाम राजस्थान राज्य), एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9608/2023 और अन्य संबंधित मामलों को दायर करके इस न्यायालय से संपर्क किया था और नोटिस जारी करते समय, आवासीय घर को ध्वस्त करने पर रोक लगा दी गई थी। वकील आगे दिनांक 27.07.2023 के आदेश अनुबंध-आरए/3 पर भरोसा करते हैं, जिसके तहत उपखंड

अधिकारी, चिड़ावा ने उसमें उल्लिखित खसरा नंबरों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने केवल आवासीय घरों को ध्वस्त करने पर रोक लगाई थी और आगे प्रस्तुत किया कि 07.03.2024 को एसडीओ चिड़ावा द्वारा पारित यथास्थिति आदेश को खाली कर दिया गया है।

5. यह ध्यान रखना उचित होगा कि इस न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा करते समय इस बात पर विचार किया था कि रिट में कोई दलील नहीं दी गई थी कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत पारित आदेश को अपील में चुनौती दी गई थी। निर्देश यह थे कि यदि बेदखली का आदेश अंतिम हो गया था और प्रभावित पक्षों ने कानूनी उपाय का सहारा नहीं लिया था और कोई अंतरिम आदेश नहीं था, तो बेदखली के आदेश को कानून के अनुसार निष्पादित किया जाना चाहिए।

6. बेदखली का आदेश राजस्व अधिकारियों के साथ-साथ इस न्यायालय के समक्ष भी चुनौती के अधीन है। एसडीओ द्वारा जारी किया गया यथास्थिति आदेश था और आवासीय घरों को ध्वस्त नहीं करने के लिए इस न्यायालय का एक अंतरिम आदेश है।

7. इस स्तर पर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा 04.12.2023 को पारित अंतरिम आदेश पर भरोसा किया गया है जिसमें रिट याचिका में पारित अंतरिम आदेश की वैधता को चुनौती देने वाले आवेदन को खारिज कर दिया गया था और पैरा-7 में निम्नानुसार अवलोकन किया गया था:

“7. किए गए प्रस्तुतीकरण के मद्देनजर, प्रतिवादियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे खंडपीठ द्वारा जारी किए गए निर्देशों के संदर्भ में आवश्यक कदम उठाएं और यदि अतिक्रमणकारी विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रोके गए क्षेत्र से परे भूमि रखते हैं, तो उनके साथ इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के संदर्भ में उचित व्यवहार किया जाएगा।

“8. मामले को 15.01.2024 को सूचीबद्ध करें।”

8. यह कहना पर्याप्त है कि 04.12.2023 के आदेश को पारित करते समय, यथास्थिति बनाए रखने के लिए 27.07.2023 को एसडीओ द्वारा पारित आदेश को पीठ के संज्ञान में नहीं लाया गया था।

9. इस स्तर पर, अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए इस न्यायालय के निर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा के लिए कोई मामला नहीं बनता है।
10. अवमानना याचिका खारिज की जाती है।
11. याचिकाकर्ता बेदखली के आदेश को चुनौती देने वाली कार्यवाही के समापन पर जीवित शिकायत के निवारण के लिए कानून के अनुसार उपाय का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

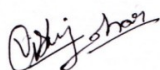
(भुवन गोयल), जे

(अवनीश झिंगन), जे

एचएस/23

रिपोर्ट करने योग्य:- हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़